आकाशगंगा में सड़क बाधा करने वाले होर्डिंग्स और सामानों को हटवाया गया

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के आकाशगंगा मार्केट में सड़क पर सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। आकाशगंगा मार्केट के व्यापारियों ने दुकान के सामने सामान बढ़ाकर रखने से होने वाली परेशानियों के लिए निगम आयुक्त को कार्यवाही कराने आवेदन दिए थे। जोन 01 के आयुक्त सुनील अग्रहरि के निर्देश पर जोन के राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्यवाही में दुकान के सड़क के सामने कई फीट तक सामान व स्टैण्डी होर्डिंग्स व टेबल कुर्सियां जमा कर रखने की वजह से आवागमन में परेशानी होने के साथ ही पार्किंग की समस्या बढ़ गई थी , जिसके चलते कार्यवाही करते हुए होर्डिंग्स और सड़क पर शाम खाद्य सामग्री बेचने वालों के टेबल कुर्सी हटवाया गया। निगम की टीम सड़क से कब्जा खाली कराने कार्यवाही की! आकाशगंगा मार्केट दुकानों के बरामदे के सामान और होर्डिंग्स लगाने की वजह से होने वाली परेशानियों के चलते निगम की टीम ने दोपहर में कार्यवाही करते हुए दो दुकानदारों से सड़क बाधा शुल्क काटा और दोबारा ऐसा न करने की समझाइश दी। गौरतलब है कि आकाशगंगा के व्यापारियों ने निगम आयुक्त को पत्र देकर मार्केट के कई व्यापारियों द्वारा दुकान के सामने कई फीट दूरी तक सामान बढ़ाकर रखने के वजह से ग्राहकों को एक से दूसरे दुकान जाने में परेशानी तथा दुकानों के सामने होर्डिंग्स बोर्ड को रखने की वजह से आने जाने में समस्या होती है। कई दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामने अव्यवस्थित तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने से दुकान में ग्राहकों के जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता इसके कारण व्यवसाय भी बाधित हो रहा है। आकाशगंगा सुपेला के व्यापारियों द्वारा आवेदन किये जाने पर निगम की टीम आकाशगंगा में बहुत से व्यापारियों द्वारा दुकान के सामने बोर्ड एवं स्टेण्डी होर्डिंग्स लगाने तथा फास्ट फूड विके्रताओं द्वारा सड़क किनारे टेबल कुर्सिया लगाकर सड़क बाधा करने वालो को हटवाया गया। दुकान के आगे काफी दूर तक सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने से वाहनों के आवागमन परेशानी होने के साथ ही शाम के समय आकाशगंगा मार्केट में पार्किंग की समस्या बढ़ जाती है। कार्यवाही के दौरान दुकानों के सामाने रखे हुए अतिरिक्त होर्डिंग्स तथा बहुत से फास्ट फूड का व्यवसाय करने वालों ने आवंटित दुकान से कई गुना ज्यादा सड़क पर टेबल कुर्सिया लगाकर व्यापार करने वालों के सामानों को हटवाया गया ताकि सड़क बाधा

न हो इस दौरान दो दुकानदारों से 500 - 500 रूपए जुर्माना वूसला गया। कार्यवाही के दौरान आकाशगंगा के व्यापारियों को समझाईश दी गई कि दोबारा ऐसा न करे अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।